(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 11/2022-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2022

सा.का.नि. ….. (अ)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 47/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 14 नवंबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1396 (अ), दिनांक 14 नवंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है ।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा.सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव, भारत सरकार